

युवक के पैन कार्ड से फर्जी फर्म बनाई, 13.28 करोड़ का लेन-देन किया

अजमेर में प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी के साथ सायबर फ्रॉड का मामला सामने आया

अजमेर, (कासं)। शहर में आए दिन सायबर क्राइम की वारदात हो रही है। पुलिस जहां अपने आपको हाईटेक बनाने में लगी हुई तो वहीं शांतिर ठग पुलिस एक कदम आगे चले रहे हैं। अजमेर में प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी के साथ सायबर फ्रॉड का मामला सामने आया है।

- धोखाधड़ी की जानकारी पीड़ित को तब मिली जब आयरकर विभाग से उसे नोटिस मिला**

एक ईमेल प्राप्त हुआ था, इसमें बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान उसके नाम से 13.28 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है। पीड़ित ने जांच की तो पता चला कि उसके नाम पर 15.58 करोड़ रुपए का जीएसटी टर्नओवर और 17.13 करोड़ रुपए की जीएसटी खरीद दिखाई गई है, जबकि उसकी वास्तविक वार्षिक आय मात्र 2 लाख रुपए ही है।

पीड़ित ने जब जीएसटी पोर्टल पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि अज्ञात व्यक्तियों ने उसके पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों का उपयोग कर

रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से धोखाधड़ी कर 86 हजार रुपए हड़पे

- पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी, पड़ोसी पर आरोप लगाया**

दर्ज शिकायत में बताया कि उनके पड़ोसी राजेश धुरानी नीजी कार्य के लिए 86 हजार रुपए उधार लिए थे। काफी समय बंद जब उन्होंने उधार दिए रूपए मांगे तो वे टालमटोल करने लगे। पीड़ित ने बताया कि दिसंबर 2024

फर्जी कंपनी बनाई। इस कंपनी को विभिन्न फर्मों से भुगतान भी प्राप्त किया। इस मामले में पीड़ित ने आयरकर

में जब उन्होंने राजेश से रूपयों की डिमांड की तो उसने जनवरी 2025 का बैंक का चेक दिया।

पीड़ित ने जब चेक बैंक में लगाया तो बाउंस हो गया। बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि यह चेक किसी भावेश के नाम से जारी किया गया था। पीड़ित का आरोप है कि राजेश और उसके बेटे भावेश ने षड़यंत्रपूर्वक फर्जी चेक थमा दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

करवाई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फर्जी पट्टा जारी कर धोखाधड़ी के मामले में सोसायटी अध्यक्ष गिरफ्तार

सांभरझील, (निंस्)। मोखमपुरा पुलिस ने फर्जी पट्टा जारी कर धोखाधड़ी करने के मामले में समिति अध्यक्ष को गिरफ्तार किया।

आनन्द शर्मा उप महानिरीक्षक पुलिस सह पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण ने बताया है कि 9 जुलाई 2023 को परिवारी राजकुमार पुत्र दीपाराम जाट निवासी रींगस जिला

- महलां/नासनॉक में गोल्डन पार्क स्कीम के नाम से आवासीय कॉलोनी के पट्टे आवंटित कर धोखाधड़ी की जा रही थी**

सीकर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि प्रार्थी ने गोल्डन पार्क, अजमेर रोड, महला बदनपुरा फकीरों की डंगरी, गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर से वर्ष



मोखमपुरा पुलिस ने फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में समिति अध्यक्ष को गिरफ्तार किया।

2008 में अनिल कुमार कुत्सल वैशाली नगर जयपुर को 10,40,110 रुपये चेक व नगद से भुगतान करके एक 500 वर्ग गज का प्लाट खरीदा था जिसका पट्टा

उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष विश्वंभर दयाल शर्मा के द्वारा हस्ताक्षरशुदा जारी किया था। तत्पश्चात समिति की तरफ से अरुण शर्मा

व समिति के मंत्री रणवीर शर्मा ने मिलकर समिति के अध्यक्ष विश्वंभर दयाल शर्मा का हस्ताक्षरशुदा उक्त भूखण्ड का ही दूसरा पट्टा सुभाष यादव निवासी निवारू रोड़ थाना करधनी की पत्नी सुशीला देवी को जारी कर दिया था जिसके संबंध में पुलिस थाना मौजमाबाद पर धोखाधड़ी के संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ था। प्रकरण में धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। थानाधिकारी मौखमपुरा संजय प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आयुचना संकलन कर धोखाधड़ी पूर्वक फर्जी पट्टे जारी करने वाले आरोपी विश्वंभर दयाल शर्मा को गिरफ्तार किया। मुल्जिम द्वारा अब तक कितने पट्टे जारी किये गये तथा गिरोह के सदस्यों के बारे में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी विश्वंभर दयाल शर्मा पुत्र सोहन लाल निवासी नाभावाला पुलिस थाना आँधी जिला जयपुर ग्रामीण का रहने वाला है।

नकबजनी की दो वारदातों का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार

23 बोरी सरसों, वारदात में प्रयुक्त ट्रैक्टर मय ट्रॉली जब्त

कोटपूतली, (निंस्)। जिले के निकटवर्ती सरूण्ड थाना पुलिस ने नकबजनी की दो वारदातों का पर्दाफाश करते हुये मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है।

एसएचओ बाबूलाल मीणा ने बताया कि गत 5 अप्रैल को ग्राम पंवाला राजपूत निवासी अशोक छाबड़ी पुत्र मुखाराम गुर्जर ने मामला दर्ज करवाया था कि 31 मार्च को उसने अपने पुराने मकान में 200 मण सरसों कट्टों में खुली रखी थी, जिन्हें 5 अप्रैल की सुबह देखा तो सरसों के 24 बोरे गायब मिले, जिन्हें कोई रात्रि में चुरा कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुये संदिग्ध व्यक्तियों की

जाँच शुरू की। इस संबंध में गठित पुलिस टीम ने ग्राम पंवाला राजपूत निवासी मनोज गुर्जर को दस्तयाब कर पुछताछ की तो उसने अपने साथियों के साथ वारदात करना स्वीकार किया। इस पर पुलिस ने अभियुक्त मनोज (23) पुत्र रामचन्द्र गुर्जर निवासी ग्राम पंवाला राजपूत को गिरफ्तार करते हुये उसके कब्जे से चोरी किये गये 23 बोरे सरसों व वारदात में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी जब्त कर लिया। अभियुक्त मनोज गुर्जर ने संबंधित घटना के अलावा नारेहड़ा स्थित जूस की दुकान में अपने साथियों के साथ दो बार नकबजनी कर चोरी करना स्वीकार किया है।

शराब के पैसे के लिए बेटे ने पिता की हत्या की, पुत्र गिरफ्तार

झुंझुनू, (निंस्)। जिले के धनुरी थाना इलाके के लूटू गांव में शराब के ठेके के पास बुधवार रात को आपसी कहासुनी के बाद पुत्र द्वारा पिता की हत्या के मामले पुलिस ने आरोपी बेटे किशनलाल सोनी को गिरफ्तार किया है।

- ठेके पर दोनों पिता-पुत्र साथ में शराब पी रहे थे**

हादसे की बात गले नहीं उतरी तो उसने धनुरी थाना पुलिस को सूचना दे दी। उसने अपने भाई किशनलाल पर शक जताया। दीपक की रिपोर्ट पर धनुरी पुलिस मौके पर पहुंचे। बाँड़ी की स्थिति देखते ही पुलिस ने इसे मर्डर माना। इसके बाद एफएसएल और डॉंगस्कवाड टीमें बुलाई गईं। सबूत जुटाए गए।

धनुरी थानाधिकारी रामनारायण चौथेल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में साफ हुआ कि मर्डर घर के बाहर किया गया और बाद में शव अंदर लाया गया है। इसके बाद पुलिस शराब ठेके के पास घटनास्थल तक पहुंची, जहां खून नया पत्थर बरामद कर लिया। इसके बाद घटनास्थल के आस-पास के कैमरे चेक किए गए। गुस्वार शाम आरोपी बेटे किशनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस गिरफ्तार आरोपी किशनलाल सोनी से पूछताछ कर रही है। जानकारी



पिता की हत्या के मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया।

के अनुसार जगदीश सोनी गांव में ही खेती-बाड़ी करता था। उसकी पांच संतानें हैं। इनमें तीन बेटियां और दो बेटे हैं। एक बेटे को छोड़कर किसी की भी शादी नहीं हुई है। परिवार में दीपक, किशनलाल और दो बेटियों अविवाहित हैं। बड़ा बेटा दीपक

झुंझुनू रहता है। दोनों बहनें उसके साथ रहती हैं। किशनलाल अपने पिता के साथ गांव में रहता था। वह छोटा-मोटा मजदूरी का काम करता है। साथ ही नशे का आदी है। दोनों में अक्सर शराब के नशे में झगड़ा-फसाद होता रहता था।

यासीन खान हत्याकांड के दो आरोपी गिरफ्तार

नारायणपुर, (निंस्)। बीजेपी नेता

यासीन खान हत्याकांड में नारायणपुर पुलिस ने 8 माह से फरार चल रहे दो इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वसीम उर्फ यश पुत्र हाकम खां और साहिल खां पुत्र हकमुद्दीन खां निवासी जखोपुर थाना रामगढ़ अलवर के रूप में हुई है। गौरतलब है कि इन दोनों आरोपियों पर कोटपुतली-बहरोड़ एसपी द्वारा 5–5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी में चौकी भर्तुहरि में कार्यरत कांस्टेबल मालाराम की विशेष भूमिका रही है। यह मामला 11 जुलाई 2024 का है, जब नारायणपुर थाना क्षेत्र के विजयपुरा गांव में अलवर-जयपुर सड़क मार्ग पर स्कॉर्पियो और थार सवार बंदमाशों ने बीजेपी नेता यासीन खान की गाड़ी को रोककर उन पर हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए यासीन खान को जयपुर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी।

युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

उदयपुर। शहर के बडगांव थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगा आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ढाणी सीपुर भीवाड़ा सेमारी सलुम्बर हॉल शहर के बडगांव थाना क्षेत्र सीतारामजी की बाड़ी बडी निवासी भगवतीलाल (45) पुत्र नाथू ने शूक्रवार तडके बबूल के पेड़ पर फांसी लगा आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मलेन पर एसएआई सज्जनसिंह ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। सवरे मोगजी पुत्र नाथू मवेशी लेकर जा रहा था। जहां बीच रास्ते पेड़ पर व्याक्ति लटका हुआ मिला। इसकी सूचना देने पर मौके पर आई पुलिस ने मृतक को निचे उतारा तो वह मरे छोटा भाई भगवत सिंह के रूप में पहचान हुई। जो शराब पीने का आदी था। आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

प्रदेश के नौ जिलों में शिक्षा कार्यालय बंद

अनूपगढ़, (निंस्)। बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश पर अनूपगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बंद कर दिया गया। राज्य सरकार ने पहले ही नौ जिलों को निरस्त कर दिया था। इन कार्यालयों की शक्तियां पहले ही वापस ले ली गई थीं। निदेशालय ने आदेश जारी किया, इसमें अनूपगढ़, डूंगरगढ़, गंगापुरसिटी ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, ककोड़ा, नौमकाथाना, सांभर और शाहपुरा के कार्यालयों को व्रुत बंद करने को कहा गया। यह आदेश 27 फरवरी 2025 के पूर्व आदेश के अनुपालन में जारी किया

पाकिस्तानी किशोर की मानसिक जांच कराई जायेगी

श्रीरंगानगर, (निंस्)। हिंदुमलकोट क्षेत्र की मदनलाल बीओपी पर जीरो लाइन पर करने वाले संदिग्ध किशोर से जेआईसी में पूछताछ जारी है। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ निकलकर नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार किशोर मानसिक रूप से कमजोर लग रहा है और सवालों को

गेहूं की कटाई करते समय थ्रेशर की चपेट में आया मजदूर, मौत

मजदूर के सिर पर बंधा तोलिया अचानक थ्रेशर मशीन के पट्टे में फंस गया था

बौली-बामनवास, (निंस्)। क्षेत्र के मलारना डूंगर उपखंड अंतर्गत ग्राम बाद बरियारा में गुरुवार रात्रि को करीब तीन बजे गेहूं की कटाई करते समय एक मजदूर घनश्याम वैष्णव (45) निवासी बाद बरियारा की थ्रेशर मशीन की चपेट में आ जाने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

मलारना डूंगर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि बाद बरियारा गांव में किसान भरत लाल मीणा के खेत पर थ्रेशर मशीन से गेहूं की कटाई का कार्य चल रहा था, इसी दौरान गांव का

ही किसान मजदूर घनश्याम भी गेहूं की कटाई की मजदूरी करने आया हुआ था। गुरुवार रात्रि को करीब 3 बजे मजदूर के सिर पर बंधा तोलिया अचानक थ्रेशर मशीन के पट्टे में फंस गया जिससे किसान मजदूर घनश्याम खींचता हुआ थ्रेशर मशीन में चला गया। अन्य काम कर रहे किसानों व थ्रेशर मशीन वालों ने तुरंत थ्रेशर मशीन को बंद किया तब तक मजदूर घनश्याम का आगे का पेट तक का हिस्सा थ्रेशर मशीन की चपेट में आ चुका था एवं उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर

मलारना डूंगर थाना प्रभारी मय जांबे के मौके पर पहुंचे एवं थ्रेशर मशीन को खुलवाकर हादसे में मृतक के शव को टुकड़ों के हिसाब से कट्टे में भराकर मलारना चौड चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम की औपचारिकता के बाद शव को उसकी बेटी व दामाद के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक के एक ही पुत्री थी जिसका विवाह हो चुका था। इसकी पत्नी की पूर्व में मौत हो चुकी थी, मृतक अकेला रहकर मजदूरी का काम करके अपना जीवन-यापन करता था।

नाबालिग छात्रा से गैंगरेप

अजमेर, (कासं)। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता स्कूल के वार्षिक समारोह में शामिल होने गई थीं। समारोह के दौरान टॉयलेट जाने के लिए बाहर निकलने पर चार युवकों ने उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर अपहरण कर लिया। पीड़िता के पिता ने थाने में

शिकायत दर्ज कराई कि आरोपियों ने उनकी बेटी के साथ न केवल अश्लील हरकतें कीं, बल्कि सामूहिक दुष्कर्म भी किया। इसके बाद उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल सहायता देना शुरू किया है।

आकाशीय बिजली गिरने से मकान क्षतिग्रस्त, हादसा टला



आकाशीय बिजली गिरने से मकान का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

को भी सूचित कर दिया गया है। पड़ोसी बिन्नु सिंह और कंवर सिंह के घरों पर भी आकाशीय बिजली का असर पड़ा, जिसमें उनके उपकरण जल गए। उपखंड क्षेत्र के बाकोटी गांव में भी प्रकाश चंद गुर्जर के बाथरूम पर आकाशीय बिजली

गिरने से बाथरूम की पट्टी टूट गई और बाथरूम में दरार आ गई एवं घरेलू उपकरण जल गए। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के आपदा कोष से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की मांग की है।

वाहन से हुई मौत के मामले में चालक को सजा सुनाई

पांच वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख का जुर्माना लगाया

सांभरझील, (निंस्)। वाहन से हुई मौत के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (क्रम संख्या-2) नीरज भामू ने अभियुक्त सीताराम पुत्र रामलाल निवासी इटावा पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर को दंडित किया है। न्यायालय ने अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। इसके अंतर्गत धारा 304, (भाग 2) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपए का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने वाहन मालिक अभियुक्त रामेश्वर पुत्र लादूराम निवासी पालुक्ता पुलिस थाना मोजमाबाद जिला जयपुर को मोटर वाहन अधिनियम के तहत परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत सम्यक रूप से प्रताड़ित एवं भर्त्सना देकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया।

न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा कि स्पष्ट रूप से अभियुक्त

- वाहन मालिक को सम्यक रूप से प्रताड़ित एवं भर्त्सना देकर छोड़ा गया**

सीताराम का आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था अतः 302 आईपीसी के तहत अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। हालांकि उसका यह कृत्य निमा किसी आशय के था, परंतु यह कृत्य अधिसंभाव्यता से परिपूर्ण था कि इससे किसी की मृत्यु हो सकती है और नुकसान हो सकता है। अतः उसका मौके पर परिस्थिति के अनुसार किया गया कृत्य धारा 302 के तहत नहीं होकर धारा 304 भाग 2 की श्रेणी में आता है। अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने न्यायालय को यह भी बताया कि वाहन चालक सीताराम के पास वाहन चलाने का कोई लाइसेंस भी नहीं था, जबकि लाइसेंस वाहन मालिक रामेश्वर के नाम से था।

 Kanoria PG Mahila Mahavidyalaya Gandhi Circle, JLN Marg, Jaipur-302015 (Raj.) Ph. 0141-2706672/ 2707539 /7849834600/801602		
Adv. No.: KMM/2025-26/01		Date: 09-04-2025
NOTICE INVITING TENDER		
Sealed Tenders are invited for the following works:		
Sr. No.	Particulars of Work/ Supply	Estimated Cost (Rs.)
1.	Annual Rate Contract for Maintenance/Civil Works	80 Lakhs
2.	Swimming Pool Plumbing Work	11 Lakhs
3.	Demolishing & Recast of Existing Roof	75 Lakhs
Contractors registered with Central or State Government or any other Statutory Authority and Authorised Dealers / Distributors / Suppliers may obtain Tender Form from the college office only on working day from 15 th to 30 th April, 2025 between 11:30 am to 03:00 pm on a payment of Rs. 500/- for each work/ supply.		
An application signed by an authorised person on the letterhead of the firm addressing to the Secretary will be required to get Tender Form.		
		Secretary
कार्यालय अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत्त, जयपुर		
क्रमांक- 33	दिनांक-01.04.2025	
ई-निविदा सूचना संख्या 01/2025-20		
UBN No.-:-	NIB Code No.	
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से कार्य Renovation of Thala Anicut in Bandi River Village Gopalnagar, GP Thala, Madhorajapura, District Jaipur जिसकी अनुमानित लागत 140.00 लाख है। वित्त विभाग के नवीन नियमों के तहत समक्ष श्रेणी में पंजीकृत संवेद्यकों से ई-निविदा के माध्यम से ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 03.04.2025 प्रातः 9.30 से दिनांक 15.04.2025 को 6.00 बजे तक डाउनलोड एवं अपलोड की जा सकती है। निविदा की वित्तीय विड दिनांक 16.04.2025 को दोपहर 3.00 बजे खोली जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण संबंधित वेबसाईट www.waterrsources.rajasthan.gov.in, http://www.eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in से देखी जा सकती है।		
UBN No. WRD2526WSOB000011	अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत्त, जयपुर	
DIPRC/CI/4774/2025		